न्यायालय-अपर सेशन न्यायाधीश लक्ष्मणगढ, जिला-अलवर(राज०)

पीठासीन अधिकारी - मोहित द्विवेदी, आर०जे०एस०

(डी०जे० कैडर)

विविध फौजदारी प्रकरण सं० : 155/2026

सी.आई.एस. नंबर : 135/2026

इस्ताक खान पुत्र इस्माईल खान आयु 35 साल निवासी मीना का बास, पुलिस थाना बडौदामेव, जिला-अलवर (राज0)

.....प्रार्थी/आरोपी

बनाम

राजस्थान राज्य, जरिये अपर लोक अभियोजक, लक्ष्मणगढ (अलवर)

---अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा **483 भा0 ना0 सु0 सं0**
प्रथम इत्तिला रिपोर्ट संख्या-155/2026 पुलिस थाना बडौदामेव
अपराध अन्तर्गत धारा 318(4),316(2) भा०न्या०सं०
व धारा 66-डी आई०टी० एक्ट

उपस्थित-

1. श्री रमेश चन्द गुर्जर, अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से उप०।
2. श्री दिनेश कुमार, अपर लोक अभियोजक राज्य की से उप०।

::-आदेश-::

दिनांकः10.06.2026

प्रार्थी/आरोपी इस्ताक खान की ओर से प्रस्तुत जमानत के प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विद्वान अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्ष्मणगढ द्वारा दिनांक 27.05.2026 को खारिज किये जाने पर उसकी ओर से उक्तानुसार जमानत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत इस न्यायालय में पेश किया गया। प्रार्थना-पत्र की नकल विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा प्रस्तुत केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दिनांक 22.05.2026

को महेन्द्र ए.एस.आई. थाना बडौदामेव द्वारा एक टाईपशुदा रिपोर्ट इस आशय की पेश की, कि श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय, अलवर के कार्यालय आई 4 सी पोर्टल से प्राप्त संदिग्ध म्यूल एकाउन्ट की सूची में शामिल संदिग्ध खाता संख्या 1242000100318167 पीएनबी की जॉच की गई । उक्त बैंक खातों पर समन्वय पोर्टल पर साईबर फ्रॉड की 02 शिकायत दर्ज होना पाया गया । जिस पर खाता सं० 1242000100318167 पीएनबी शाखा बडौदामेव से खाता धारक की डिटेल व बैंक खाता का स्टेटमेन्ट प्राप्त किया गया । उक्त बैंक खाता सं० 1242000100 318167 का खाता धारक इस्ताक खान पुत्र इस्माईल खान होना पाया गया । प्राप्त संदिग्ध म्यूल बैंक खाता की जांच कर खाता धारक से पूछताछ कार्यवाही हेतु थाना हाजा से आज दिनांक 22.05.2026 को समय 5.30 पीएम पर मन महेन्द्र कुमार सउनि मय कानि० मय अनुसंधान बॉक्स मय सरकारी वाहन चालक अशोक सिंह के रवाना होकर गश्त, निगरानी व संदिग्ध खाता धारक की तलाश पतारसी करता हुआ कस्बा बडौदामेव तहसील के पास पहुंचा, जरिए मुखबिर सूचना मिली कि संदिग्ध खाता धारक इस्ताक खान जो बडौदामेव से अपने गांव मीना का बास पैदल-पैदल जा रहा है, जिस पर समय 5.45 पीएम बडौदामेव से मीना का बास रोड पर शमशान घाट के पास पहुंचे, जहां मुताबिक मुखबिर सूचना हुलिया का शख्स पैदल जाता दिखाई दिया, जिसको मन सउनि ने हमराही जाप्ता की मदद से रोककर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम इस्ताक खान पुत्र इस्माईल खान होना बताया । उक्त शख्स से साईबर फ्रॉड में उपयोग में लिये गये पीएनबी बैंक खाता सं० 1242000100318167 के बारे में पूछताछ की गई तो उक्त शख्स इस्ताक खान ने उक्त बैंक खाता को स्वयं के बैंक खाता होना बताया एवं उक्त बैंक खाता में फ्रॉड की आई अवैध राशि के बारे में पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैं ड्राईवरी करता हूं, मेरे साथ और भी काफी व्यक्ति ड्राईवरी करते हैं, जिनको देखकर मैं ऑन लाईन फ्रॉड का काम करने लग गया । मैंने करीब 6-7 महिने पहले ऑन लाईन फ्रॉड करके मेरे उक्त खाता में पैसे डलवाये थे । मैं ऑन लाईन फ्री फायर गेम आईडी बेचने का एड छोडकर लोगों को मेरा स्केनर भेजकर पैसे डलवाता था । एक बार मेरा स्केनर को स्कैन करने पर मैं उस व्यक्ति के खाते से मेरे खाते में ऑन लाईन तरीके से पैसे ट्रांसफर कर लेता हूं । मैं फर्जी फेसबुक आईडी पर ऑन लाईन गेम आईडी बेचने का फर्जी एड छोडकर व अन्य तरीके से लोगों को झांसे में लेकर लोगों से मेरे उक्त बैंक खाता संख्या 1242000100318167 में ऑन लाईन ठगी की रकम डलवाता था । मैंने मेरे उक्त बैंक खाता से मेरा मोबाइल नं० 9799437174 जोडकर उक्त नंबर पर यूपीआई चालू कर रखी है । लोगों से मैंने मेरे बैंक खाता

व यूपीआई के जरिए मेरे खाता में ठगी के पैसे डलवाये थे । माह दिसम्बर 2025 में मेरे खाते में फ्रॉड की राशि डलने से मेरे उक्त खाता पर ऑन लाईन शिकायत होने पर खाता बंद हो गया, तब मैंने यह काम करना बंद कर दिया था । समन्वय पोर्टल पर उक्त शख्स इस्ताक खान के बैंक खाता के संबंध में शिकायत चैक की गई तो पीएनबी बैंक खाता सं० 1242000100318167 के विरुद्ध दर्ज हुई शिकायत सं० 30812250105454 दिनांक 28.12.2025 में दिल्ली राशि 18,747, शिकायत सं० 30812250105353 दिनांक 28.12.2025 में दिल्ली राशि 20,000 रुपए की शिकायत दर्ज होना पाया गया, ... इत्यादि ।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/आरोपी ने बहस के दौरान अपने जमानत प्रार्थना-पत्र के कथनों की पुनरावृत्ति करते हुए निवेदन किया है कि प्रार्थी/आरोपी के विरुद्ध किसी प्रकार से अपराध साबित नहीं है, न प्रार्थी/आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है । प्रार्थी के विरुद्ध दिनांक 28.12.2025 को स्वयं के खाते में फ्रॉड करके पैसे डलवाने का अपराध प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित किया गया है, यदि प्रार्थी की आपराधिक प्रवृत्ति रही होती तो वह विगत 06 माह से न जाने कितनी बार अपराध करता होता और उसके विरुद्ध अन्य अभियोग भी दर्ज हुए होते, इसलिए प्रार्थी/आरोपी को उक्त अपराध में उसके मिलने वाले व्यक्ति ने विश्वास में लेकर फंसाया है, जिसके बारे में भी प्रार्थी द्वारा पुलिस को सच्चाई के साथ बताया था, लेकिन प्रार्थी की पुलिस से हॉक-टॉक होने के कारण प्रार्थी को गलत रुप से फंसाया है, प्रार्थी की अपराध की मंशा नहीं रही थी । प्रार्थी/आरोपी के विरुद्ध पत्रावली पर कोई ऐसी साक्ष्य नहीं है कि जो यह दर्शाता हो कि उसने किसी व्यक्ति को कोई झांसा देकर रकम डलवाई हो या कोई चैट पत्रावली पर किसी व्यक्ति के साथ की हो । कोई फर्जी वीडियो डालकर रकम ऐंठी हो ऐसा भी कोई सबूत पत्रावली पर नहीं है व प्रार्थी द्वारा किसी व्यक्ति के खातों से फर्जी तरीके से अपने खाते में राशि ट्रांसफर की हो । पुलिस द्वारा पत्रावली पर जो ई-साक्ष्य वीडियोग्राफी प्रस्तुत की है, वह भी प्रार्थी की गिरफतारी घर से पकडकर ले जाने के बाद मुझे एफआईआर में अंकित शमशान घाट के पास ले जाकर मेरा फर्जी वीडियो बनाया गया है । प्रार्थी/आरोपी अनपढ, गरीब बाल-बच्चेदार है, जो कोई फ्रॉड नहीं कर सकता। अतः प्रार्थी/आरोपी का जमानत का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया ।

4. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने इसका विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना-पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. उभय पक्ष की बहस सुनने के पश्चात केस डायरी का ध्यानपूर्वक

अवलोकन करने पर यह तथ्य उभर कर सामने आया है कि अनुसंधान के दौरान संकलित की गई साक्ष्य-सामग्री से प्रार्थी/आरोपी के विरूद्ध धारा 318(4), 316(2) भा०न्या०सं० व धारा 66-डी आई०टी० एक्ट का अपराध बखूबी प्रमाणित पाया गया है। प्रार्थी/आरोपी के नामजद प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की ताईद करते हुए गवाहान द्वारा अपने बयान धारा 180 बीएनएसएस के तहत लेखबद्ध करवाये गये हैं । केस डायरी से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी/आरोपी फ्रोड कर फेसबुक आईडी पर ऑनलाईन गेम आईडी बेचने का फर्जी एड छोडकर लोगों को झांसे में लेकर अपने खाते में ऑनलाईन ठगी की रकम डलवाता रहा है । प्रार्थी/आरोपी के अपने बैंक अकाउंट नंबर 1242000100318167 से संबंधित दस्तावेज केस डायरी पर मौजूद है, उनका यदि अवलोकन किया जावे तो उससे यह स्पष्ट है कि उसके द्वारा फ्रोड कर राशि अपने अकाउंट में क्रेडिट करवाई गई है । प्रार्थी/आरोपी ने अपने बैंक अकाउंट नंबर को अपने मोबाईल नंबर से जोडकर जरिये यूपीआई फ्रोड की राशि अपने अकाउंट में क्रेडिट करवाई है । प्रार्थी/आरोपी द्वारा पीडितों की गाढी कमाई को अपने खाते में पीडितों के साथ फ्रॉड कर क्रेडिट करवाया गया है ।

6. इस स्थानीय क्षेत्र विशेष में इस प्रकार के साईबर क्राईम के अपराधों में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है, जिससे न केवल आमजन के आर्थिक हित प्रभावित होते हैं, बल्कि समाज के भी हित प्रभावित होते हैं । इस प्रकार प्रार्थी/आरोपी का कृत्य गंभीर प्रकृति का रहा है। केस डायरी पर प्रार्थी/आरोपी के विरूद्ध दर्ज आपराधिक रिकॉर्ड की सूची उपलब्ध करवाई गई है, जो निम्न प्रकार से हैः-

<u>प्रार्थी/आरोपी इस्ताक खान का आपराधिक रिकॉर्ड</u>

क्र. सं.	प्रथम इत्तिला रि० सं.	पुलिस थाना	न्या० केस नं०	अंतर्गत धारा	प्रथम इत्तिला रि० दर्ज होने की दिनांक	स्टेटस(दोष सिद्ध/ दोषमुक्त जैर विचारण)	गिरफ्तारी की दिनांक	रिहा होने की दिनांक
-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों-परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना न्यायालय इस स्तर पर प्रार्थी/आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना

न्यायोचित नहीं समझता है।

8. फलतः प्रार्थी/आरोपी इस्ताक खान पुत्र इस्माईल खान आयु 35 साल निवासी मीना का बास, पुलिस थाना बडौदामेव, जिला-अलवर (राज0) की ओर से प्रस्तुत जमानत का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 483 भा०ना०सु०सं० अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(मोहित द्विवेदी)

9. आदेश आज दिनांक 10.06.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया व हस्ताक्षरित किया गया।

(मोहित द्विवेदी)